JK Cement Ltd.
CIN: L17229UP1994PLC017199
Registered Office
Kamla Tower, Kanpur-208001, U.P., India
+91-512-2371478 to 85 +91-512-2399854
shambhu.singh@jkcement.com
www.jkcement.com

JKCL/CS/SE/2024(BM4)

28th June, 2024

The Bombay Stock Exchange Ltd. **Corporate Relationship Department,** **Phiroze Jeejeebhoy Towers,** **Dalal Street, Fort, Mumbai-400001** **Scrip Code:532644 (ISIN.INE 823G01014)** **Through BSE Listing Centre**	**National Stock Exchange of India Ltd.,** **Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,** **Bandra (E), Mumbai-400051** **Scrip Code: JKCEMENT (ISIN.INE 823G01014)** **Through : NEAPS**

Dear Sir/Ma'am,

In terms of Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, we published newspaper insertions interalia including intimation of 30th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, 19th July, 2024 at 11:00 A.M (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means("VC/OAVM"), information of Book Closure/ Record Date for Dividend and e-voting. We are enclosing copies of newspaper advertisement published in the All Editions of Business Standard (English), All Editions of Business Standard (Hindi) and Hindustan (Hindi), Kanpur Edition on 28th June,2024.

The aforesaid advertisements are also uploaded on the website of the Company: www.jkcement.com. You are requested to take the aforesaid information on record and oblige.

Yours faithfully,
For **J.K. Cement Ltd.**

SHAMBHU SINGH
Digitally signed by SHAMBHU SINGH
Date: 2024.06.28 19:07:57 +05'30'

Shambhu Singh
Vice President & Company Secretary
FCS 5836

Encl: As above

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that our clients **M/s. Natu Vijaylaxmi Realtor PVT. LTD.** having its office at 604, Centrum, Near TMC office, Opp Raila Devi Lake, near Satkar Hotel, Wagle Estate, Thane, 400604. is intending to redevelop the cessed property more particularly described in the Schedule hereunder written along with the structure standing thereon presently being occupied by the following seven (7) Tenants/Occupants/ Owner.

Sr.No.	TENANT	FLOOR	ROOM NO.
1	Rajendra Bhathawala	Gr.	A
2	Vijaykumar Hendre	Gr.	B
3	Trimbak Tipnis	1st	C
4	Jyoti Phanse	1st	D
5	Sanjeev Tawde	2nd	E
6	Vishwesh Warty	2nd	F
7	Vikram Patel	3rd	G

All persons having any claim or interest against or to the said property or any part thereof in respect of aforesaid or by way of sale, assignment, mortgage, trust, lien gift, charge, possession inheritance, lease, tenancy, maintenance, easement or otherwise howsoever are hereby required to make the same known in writing to the undersigned within 15 days from the date publication hereof falling which our clients will proceed with the redevelopment without any reference to such claim, if any.

THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO
(Description of the property)

ALL THAT the municipal leasehold plot being final Plot No.73 (South), CS No. 71/10 of Matunga Division admeasuring 466 sq. yards equivalent to 389.63 sq. mtrs or thereabout with a building Vikram Building standing thereon situate, lying and being at Hindu Colony, Lane No.2, Dadar (East), Mumbai - 400 014 in the registration district of Mumbai City together with the building standing thereon "Vikram Building" and registered in the books of Collector's Land Revenue under New Survey No.1152 assessed by the Assessor and Collector of the Municipal Corporation of Greater Mumbai, F/South Ward under No.7243(2) and Street No. 810A and bounded as follows:-

On or Towards North - East - By 30 ft road.
On or Towards South - East - By partly by 10 ft wide footpath, and partly by plot No. 74
On or Towards South - West - By Plot No. 68
On or Towards North - West - By Plot No. 72

Sd/-
Supriya Bhagwat
Advocate
Add.: Flat No. 4, Ground Floor, Krishna Prasad, Dr. M. B. Raut Road, Shivaji Park, Dadar, Mumbai-400028

Date : 27.06.2024
Place : Mumbai

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा शिविर–महागामा

ई–प्रोक्योरमेन्ट सूचना (अति अल्पकालीन)

निविदा सूचना सं०: WRD/Mahagama/01F2/24–25, (2nd Call)

दिनांक : 27.06.2024

1.	कार्य का नाम	बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर योजना के आर0डी0 सं0–48.10, 58.70 एवं 101.46 पर तीन अदद् CD का निर्माण एवं Gap भाग का Brick Lining कार्य।
2.	प्राक्कलित राशि (रु0 में)	2,31,77,940.41
3.	कार्य समाप्ति की अवधि	270 दिन (09 माह)
4.	ई० निविदा बेवसाईट पर प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	08.07.24 के 5:00 बजे अपराह्न तक
5	ई.निविदा का बेवसाईट पर प्रकाशन की तिथि	01.07.24 के 11:00 बजे पूर्वाह्न से
6	बीड खुलने की तिथि एवं समय	09.07.24 के 03.00 बजे अपराह्न में।
7	ई–प्रोक्योरमेन्ट सेल का सम्पर्क सहायता नम्बर	06432–357181
8	ई–निविदा आमंत्रित करने वाले कार्यालय का नाम व पता	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा शिविर–महागामा।
9	ई–प्रोक्योरमेन्ट अधिकारी का सम्पर्क नं०	7903679057

नोटः सिर्फ ई0–निविदा ही स्वीकार किये जायेंगें।
(1) निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि केवल online mode द्वारा स्वीकार्य होगी।
(2) निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि का ई– भुगतान जिस खाता से किया जायेगा उसी खाते में अग्रधन की राशि वापस होगी, अगर खाता को बन्द कर दिया जाता है तो इसकी सारी जवाबदेही सम्बंधित निविदादाता की होगी।
(3) प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है।
(4) राज्य सरकार द्वारा निर्गत सभी अद्यतन आदेश/परिपत्र लागु होंगें।
(5) अन्य जानकारी के लिए बेवसाईट http://jharkhandtenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा
शिविर–महागामा

PR 327924 Irrigation(24-25)#D

MMTC LIMITED

Core - 1, Scope Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110 003.

Phone No: 011-24361889, Email: akmisra@mmtclimited.com
Website : www.mmtclimited.com, CIN: L51909DL1963GOI004033

Sub: Mandatory Notice for Transfer of Equity Shares held by the shareholders in the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

This notice is published pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Investor Education & Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer & Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs, as amended from time to time ("Rules")

Pursuant to the Rules all equity shares of the Company in respect of which dividends for 7 (seven) consecutive years have remained unpaid or unclaimed are liable to be transferred to IEPF Suspense Account in terms of above mentioned Act and Rules.

Individual communication will be sent to the registered address of the concerned shareholders whose final dividend for F.Y. 2016-17 remain unclaimed and whose shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules. The Concerned shareholders are requested to approach the Company's Registrar & Transfer Agents, M/s MCS Share Transfer Agents Limited or the company on or before 15.09.2024 to claim the unclaimed/unpaid final dividend for F.Y. 2016-17, failing which the Company in order to adhere to the requirements of the Rules, transfer the shares held by them to IEPF account as per the procedure set out in the Rules. No claim shall lie against the Company in respect of shares transferred to IEPF account.

The full details of the concerned shareholders and the details of their shares liable to be transferred to the IEPF account are available on the website of the Company i.e. www.mmtclimited.com

The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares liable to be transferred to IEPF Authority shall be transferred by issuance of duplicate share certificate and thereafter transferring the same to IEPF Authority. Accordingly, the original share certificate/s held by the concerned shareholders shall automatically stand cancelled. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website is deemed to be adequate notice for the purpose of issuing duplicate share certificate (s) for the purpose of transfer of share to the IEPF account pursuant to the Rules. Similarly, if the shares are held in dematerialized form, the Company shall inform the depository by way of Corporate Action for transfer of shares to the IEPF.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the due procedure prescribed in the IEPF Rules, 2016.

For any queries or anything to communicate to the Company in respect of the above, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s. MCS Share Transfer Agent Ltd. F-65, Ist Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi -1100 20. Ph:- 011-4140 6149 Fax:- 011-4170 9881 Email :- (1)ajay@mcsregistrars.com. (2)akmisra@mmtclimited.com

By the Order of the Board,
For MMTC Limited
sd/-
(Ajay Kumar Misra)
Company Secretary
Mobile:9958404478

Date: 26th June, 2024

J.K. Cement Limited ('The Company')

(CIN: L17229UP1994PLC017199)
Registered Office : Kamla Tower, Kanpur-208001, Uttar Pradesh, India
Telephone : +91-512-2371478 to 85, Fax : +91-512-2399854
Email : shambhu.singh@jkcement.com Website : www.jkcement.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY ABOUT THIRTIETH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE, RECORD DATE FOR DIVIDEND AND INFORMATION OF E-VOTING

Notice is hereby given that the Thirtieth Annual General Meeting ("AGM") of the Company, is scheduled to be held on **Friday,19th July 2024 at 11:00 A.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") as per the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed there under read with General Circular Nos. 14/2020,17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022, 10/2022 and 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by SEBI as per the applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 as amended ("Listing Regulations") without the physical presence of the Members and the standalone and consolidated audited financial statements for the Financial Year 2023-24, along with Notice, Directors' Report with annexures, Management Discussion and Analysis, Report on Corporate Governance, Auditors Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 27th June, 2024 electronically only to those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Company's Registrar and Transfer Agent. Hence the members can join and participate through VC/OAVM facility only. The Notice of AGM and the aforesaid documents are available on the Company's website at **www.jkcement.com,** website of BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**, respectively and on the website of NSDL at **https://www.evoting.nsdl.com**. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection by the Members from the date of circulation of the Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to shambhu.singh@jkcement.com.

Remote e-voting and e-voting during AGM:

The Company is providing to its Members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged National Securities Depository Limited ('NSDL') as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. Only the members whose name appears in the register of members as on Friday, 12th July , 2024 shall be allowed to cast their votes by remote e-voting. Members who have forgotten the User ID and Password, can obtain/ generate the same as has been provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting facility will commence at : **10:00 AM (IST) on Tuesday July 16, 2024** and will end at : **5:00 PM(IST) on Thursday, July 18, 2024**.

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall forthwith be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period. Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote through remote e- voting during continuation of AGM.

A person, whose name is recorded in the Register of Members as on the Cut-off date, that is, Friday the 12th July, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the continuation of AGM.

Book Closure Notice and Record Date for Dividend and Payment thereof :

a. Pursuant to section 91 of the Companies Act 2013 read with Companies (Management & Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations 2015, the register of Members and Share transfer books of the Company shall remain closed from Wednesday the 10th day of the July, 2024 to Friday the 19th day of July, 2024 (both days inclusive).
b. The Company has fixed Tuesday 9th July, 2024 as the "Record Date" for determining entitlement of Members to dividend recommended by the Board of Directors of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024.
c. The dividend will be paid within a week from the conclusion of the AGM, to the Members whose names appear on the Company's Register of Members as on the Record date i.e. on 9th July, 2024 and in respect of the shares held in dematerialized mode to the Members whose names are furnished by National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd. as beneficial owners as on the Record Date.
d. Payment of dividend shall be made through electronic mode to the members who have registered their bank account details with the Company. In compliance with the SEBI circulars (s) Demand Drafts will be dispatched to the registered address of the Members who have not recorded their bank account details with the Company/ RTA.

Manner of registering mandate for receiving Dividend :

Members are requested to register/update their complete bank details:

a. With their Depository Participant(s) with whom they maintain demat account, if shares are held in dematerialized mode by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s) and
b. With the Company through email at shambhu.singh@jkcement.com, if shares are held in physical mode, by submitting details in prescribed form ISR-1
   (i) scanned copy of the signed request letter which shall contain Member's name, folio number, bank details(Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR details)
   (ii) self-attested copy of the PAN Card and
   (iii) cancelled cheque leaf.
   However, in case the Company is unable to transfer the dividend entitlements directly through the RBI approved electronic mode(s), the Company shall dispatch the Demand Draft to such members, in terms of SEBI Circulars.

Manner of registering/ updating e-mailing address:

a. Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their e-mail address with the Company, are requested to register/update their details with Company /RTA by submitting form ISR-1 same by writing to the Company with details of folio number, email address and attaching a self-attested copy of PAN card at shambhu.singh@jkcement.com.
b. Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their e-mail address are requested to register/update their email address with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts.

For further details on registering /updating email id/ mandate for receiving the dividend shareholders can refer circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16 March, 2023 and amendments thereof. In case of any query pertaining to e-voting Members may refer to the "FAQs" section/ E-voting user manual available through a dropdown menu in the 'Downloads' section of NSDL website for e-voting https://www.evoting.nsdl.com.

Members are requested to note the following contact details for addressing queries/grievances, if any:
Shri Shambhu Singh, Vice President & Company Secretary,
J.K. Cement Ltd., Kamla Tower, Kanpur-208001, U.P.
Telephone: +91-512-2371478 to 85, Fax: +91-512-2399854
Email: shambhu.singh@jkcement.com Web: www.jkcement.com

Joining the AGM through VC/OAVM:

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM, via NSDL Weblink https://www.evoting.nsdl.com. The information about login credentials is to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in Note No. 29 of the Notice of AGM. Members who have cast their votes by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again during the continuation of AGM.

Tax on Dividend:

Pursuant to the provisions of Income Tax Act 1961 as amended, dividend income is taxable in the hands of the shareholder. The Company is required to deduct tax at source on dividend paid to the Members at the prescribed rate. The Members are requested to kindly go through the important communication sent by the Company with respect to deduction of tax at source on dividend which is also available on the Company's Website at www.jkcement.com.

For and On Behalf of Board of Directors
Shambhu Singh
Vice President & Company Secretary
ICSI Membership No. FCS 5836

Place: Kanpur
Date : 27.06.2024

MAITHON POWER LIMITED

(Contracts Department)
Maithon Power Ltd, Village: Dambhui,
PO Barbindia, District-Dhanbad, State-Jharkhand PIN-828205

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Maithon Power Limited invites expression of interest from eligible vendors for the following package: -

Procurement of 15 Sets of each of the 16 loops for Platen Superheater AT 525 x 2 MW THERMAL POWER PLANT.

For details of pre-qualification requirements, bid security, purchasing of tender document etc., please visit Tender section of our website **(URL: https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx).**

Eligible vendors willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee for issue of bid document latest by **7th July 2024.**

Mphasis Limited

Regd.Office: Bagmane World Technology Centre, Marathahalli Outer Ring Road, Doddanakhundi Village, Mahadevapura, Bengaluru - 560048. CIN: L30007KA1992PLC025294
Tel: 91 80 6750 4613 Website: www.mphasis.com ;
email: investor.relations@mphasis.com, 33.agm@mphasis.com

Notice

33rd Annual General Meeting to be held over Video Conference, Record Date and Dividend

Notice is hereby given that the thirty third Annual General Meeting ("AGM") of Mphasis Limited will be held at 9:00 am (IST) on Thursday, 25 July 2024, through Video Conferencing ("VC") in compliance with General Circular No. 09/2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 25 September 2023 and SEBI circular No. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 dated 6 October 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as the "Circulars"), to transact the ordinary and special businesses contained in the Notice of the thirty third AGM (the "Notice") together with the additional information in respect of the Directors seeking re-appointment and the explanatory statement pursuant to the Companies Act, 2013.

Notice is further hereby given that the thirty third Annual Report for the financial year ended 31 March 2024 together with the Notice of the AGM, is being dispatched physically or through electronically individually to the members of the Company at their registered addresses/ e-mail IDs which are registered with the Company/Depositories, in accordance with the Circulars, to those members whose names appear in the register of members/list of beneficial owners as at 14 June 2024. The Annual Report and the Notice of the AGM is available on the website of the Company; www.mphasis.com and also on the website of the National Stock of India Limited (NSE) www.nseindia.com and the BSE Limited, www.bseindia.com.

The Company is pleased to provide e-voting facility to the Members to exercise their right to vote through electronic means (remote e-voting) on all resolutions as set out in the said Notice and has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide the e-voting facility. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice being sent to the shareholders.

Those members who are present in the AGM through VC and had not cast their votes on resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to e-vote during the AGM.

Shareholders holding shares in demat mode are requested to contact their Depository Participant ("DP") and register their e-mail address as per the process advised by their DP. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their e-mail address and mobile number with the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz., Integrated Registry Management Services Private Limited at giri@integratedindia.in. Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address with the Company can cast their vote through remote e-voting or e-vote during AGM by following the below process for obtaining the e-voting credentials:

1. In case shares are held in physical mode, provide the folio No., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to 33.agm@mphasis.com .
2. In case shares are held in demat mode, provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name of shareholder, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to 33.agm@mphasis.com .
3. Alternatively, member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules thereunder, as amended, and SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Mr. S P Nagarajan (PCS No.4738), Practicing Company Secretary, has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

Following is the schedule of events for e-Voting:

Date of completion of dispatch of Notice	Friday, 28 June 2024
Cut-off date for remote e-voting	Thursday, 18 July 2024
The date and time of commencement of remote e-voting	Saturday, 20 July 2024 at 9.00 AM
Closing of remote e-voting	Wednesday, 24 July 2024 at 5.00 PM
Declaration of results of voting	The results will be declared forthwith, upon receipt of scrutinizer's report within 48 hours from the date of the AGM i.e. before Saturday, 27 July 2024, before 5 pm (IST) and placed at the registered office of the Company, Mphasis Limited, Bagmane World Technology Center, Marathahalli Outer Ring Road, Doddanakhundi Village, Mahadevapura, Bengaluru 560 048 and also at the Corporate Office of the Company "Bagmane Laurel", Bagmane Technology Park, Byrasandra Village, C V Raman Nagar, Bengaluru 560 093.Further the results will be hosted on the website of the Company at www.mphasis.com despite of being hosted on the website of the Stock Exchanges.

The Notice of the AGM is uploaded on the website of the Agency, NSDL at https://www.evoting.nsdl.com/.

Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 11 July 2024 to Thursday, 25 July 2024 (both days inclusive).

Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on 25 April 2024 has recommended a dividend of ₹ 55 per equity share. The dividend once approved by the shareholders in the ensuing AGM will be paid (subject to deduction of taxes at source as per the Income-tax Act, 1961) electronically to those shareholders who have updated their bank account details. Members holding shares in electronic form, who have not registered their bank particulars are requested to update the same with their respective Depositories and members holding shares in physical form are requested to update their bank particulars to the Company's Registrar and Share Transfer Agents at giri@integratedindia.in to enable the Company to disburse the dividend to your bank account directly.

The payment of dividend to the shareholders who have not opted for electronic mode or to whom the said dividend is required to be paid through issuance of Dividend Warrants/Demand Drafts (DDs) including the NEFT/RTGS/NACH/NECS return cases, the dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be dispatched to the shareholders at their registered addresses.

Pursuant to the SEBI circular dated 3 November 2021 (subsequently amended by circular dated 14 December 2021, 16 March 2023, and 17 May 2023) and the FAQ released by SEBI, the shareholders holding shares in physical form and who have not updated their KYC details (viz. PAN, choice of nomination, contact details, mobile number, bank account details and signature) with Integrated Registry Management Services Private Limited, Registrar and Share Transfer Agents of the Company, their dividend shall be withheld by the Company and the same shall be released electronically upon updation of KYC.

Shareholders may note that the Income-tax Act, 1961 (Act), as amended by the Finance Act, 2020, mandates that the dividends paid or distributed by a Company, on or after April 1, 2020, shall be taxable in the hands of shareholders. The Company shall therefore deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of final dividend. The shareholders are requested to note the following in this regard.

Shareholders having valid PAN	10% or as notified by the Government of India
Shareholders not having PAN / valid PAN	20% or as notified by the Government of India as per section 206AA of the Income Tax Act
Shareholders who have not filed the Income Tax Returns for the assessment year relevant to the previous year immediately preceding the financial year in which tax is required to be deducted, for which the time limit for furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 has expired and aggregate of tax deducted at source is ₹ 50,000 or more in the said Financial Year.	Higher rate of tax as notified by the Government of India as per section 206AB of the Income Tax Act.

However, no tax shall be deducted on the dividend payable to a resident individual shareholder if the total dividend to be received by them during Financial Year 2024-25 does not exceed ₹ 5,000 in aggregate across all holdings in the Company and also in cases where shareholders provide Form 15G / Form 15H (applicable to an Individual resident shareholder with age of 60 years or more) subject to conditions specified in the Act. Resident shareholders may also submit any other document as prescribed under the Act to claim a lower/Nil withholding tax. PAN is mandatory for shareholders providing Form 15G/15H or any other document as mentioned above.

For Non-resident Shareholders (excluding FPIs/FIIs), taxes are required to be withheld in accordance with the provisions of Section 195 and other applicable sections of the Act, at the rates in force. The withholding tax shall be at the rate of 20% (plus applicable surcharge and cess) or as notified by Government of India on the amount of dividend payable. Non-resident shareholders (including FPIs / FIIs), have the option of being governed by the provisions of the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) between India and their country of tax residence, if the provisions of the DTAA are more beneficial to them. For this purpose, i.e., to avail the benefits under the DTAA, non-resident shareholders will have to provide the following:

- Copy of the PAN Card allotted by the Indian Income Tax Authorities duly attested by the shareholder.
- Copy of Tax Residency Certificate (TRC) for FY 2024-25, obtained from the revenue authorities of the country of tax residence, duly attested by shareholder.
- Self-declaration in Form 10F for FY 2024-25.
- Declaration to establish the genuineness of applicability of treaty provisions including provisions of General Anti- Avoidance Rules and Multilateral Instruments.
- Self-declaration by the shareholder of having no Permanent Establishment in India in accordance with the applicable Tax Treaty.
- In case of foreign company/entity, self-declaration that you do not have a permanent establishment in India, nor do you have a place of effective management in India for FY 2024-25.

  Shareholders are requested to upload the aforementioned documents at https://www.integratedregistry.in/TaxExemptionRegistration.aspx on or before 8 July 2024 before 5:00 pm (IST). No communication would be accepted from shareholders after 8 July 2024 regarding the tax withholding matters.

For **Mphasis Limited**
Sd/-
Subramanian Narayan
Senior Vice President and Company Secretary

Bengaluru
28 June 2024

NOTES:

1. **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT ONE OR MORE PROXIES TO ATTEND AND TO VOTE ON A POLL INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND A PROXY SO APPOINTED NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. PURSUANT TO THE MCA CIRCULARS, PROVISION FOR APPOINTMENT OF PROXIES BY THE MEMBERS ARE NOT AVAILABLE FOR THE AGM HELD THROUGH VC. ACCORDINGLY, THE FACILITY FOR APPOINTMENT OF PROXY FOR THIS AGM HAS NOT BEEN PROVIDED TO THE MEMBERS AND THE PROXY FORM IS NOT ANNEXED TO THIS NOTICE.**
2. Any person, who acquires shares and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or giri@integratedindia.in and shall be entitled for availing remote e-voting facility or e-voting at the AGM. However, the vote of member will be considered only if such person is a member of the Company as at the cut-off date i.e., 18 July 2024. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
3. Any queries or grievances connected with the remote e-voting process, may please be addressed to Mr. Subramanian Narayan, Senior Vice President and Company Secretary, Mphasis Limited, Bagmane World Technology Center, Marathahalli Outer Ring Road, Mahadevapura, Doddanakhundi Village, Bengaluru – 560 048, Ph:+91-080-6750 4613 or e-mailed to subramanian.narayan@mphasis.com or 33.agm@mphasis.com.
4. The remote e-voting module shall be forthwith blocked by NSDL at 5.00 pm (IST) on Wednesday, 24 July 2024 and remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.
5. A member may participate at the AGM through VC facility even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote again at the AGM.

बदलेंगे खुलासा व सूचीबद्धता नियम

नियामक सेबी की एक समिति ने इन नियमों को आसान बनाने के लिए 200 पृष्ठ की रिपोर्ट सौंपी

खुशबू तिवारी
मुंबई, 27 जून

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सूचीबद्ध कंपनियों और सार्वजनिक बाजारों तक पहुंच बनाने की इच्छुक कंपनियों के लिए खुलासों और सूचीबद्धता मानक सरल बनाने के लिए जल्द ही करीब 50 बदलावों पर विचार करेगा। सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य एस के मोहंती की अध्यक्षता वाली 21 सदस्यीय समिति ने 200 पृष्ठ की रिपोर्ट में अपने सुझाव सौंपे हैं। रिपोर्ट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन (आरपीटी) मानकों, प्रवर्तक पुनः वर्गीकरण और लॉक-इन जरूरतों, निदेशकों की नियुक्ति, आईपीओ के लिए पात्रता नियमों, आईपीओ-पूर्व लेनदेन के खुलासे, राइट निर्गम आदि से जुड़े बदलावों के प्रस्ताव रखे हैं।

विशेषज्ञ समूह ने लंबी प्रवर्तक लॉक-इन अवधि का प्रस्ताव रखा है, बशर्ते कि आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए कर्ज चुकाने में किया जाए। सेबी के 215 पृष्ठ के परामर्श पत्र में कहा गया है, 'उन मामलों में ऑडिटेड स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर अतिरिक्त खुलासे करने होंगे जिनमें निर्गम से मिली रकम का उपयोग कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए किया जाता है।' मुकदमेबाजी या विवाद के खुलासे के लिए समय-सीमा मौजूदा 24 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। नियामक ने प्री-आईपीओ लेनदेन के बारे में अधिक जानकारी भी मांगी है।

परामर्श पत्र में कहा गया है, 'सूचीबद्धता से पहले दिए जाने वाले किसी भी मुआवजे या लाभ-विभाजन समझौते को सूचीबद्धता के बाद आयोजित पहली आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।'

आरपीटी पर मानकों में बदलाव के लिए सेबी ने परिभाषा, मंजूरियों और छमाही खुलासों में कई रियायतों का सुझाव दिया है। उदाहरण के लिए, निदेशकों या वरिष्ठ प्रबंधन को दिए जाने वाले पारिश्रमिक और शुल्क को खुलासे से छूट दी जा सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों के बीच या किसी पीएसई और राज्य या केंद्र सरकार के बीच लेनदेन को आरपीटी के तहत मंजूरी लेने की अनिवार्यता से अलग रखा जा सकता है।

इसके अलावा, नियामक बकाया स्टॉक स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स (एसएआर) वाली कंपनियों को आईपीओ दाखिल करने की अनुमति दे सकता है। हालांकि, यह केवल उन फर्मों पर लागू होगा जहां ऐसे राइट्स केवल कर्मचारियों को दिए गए हैं। एसएआर कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक प्रकार का कम्पनसेशन है जो कंपनी के शेयर मूल्य के प्रदर्शन से जुड़ा होता है।

इसी तरह, आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए प्री-इश्यू एडवरटाइजमेंट और प्राइस बैंड एडवरटाइजमेंट को एक ही विज्ञापन के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है। क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड लिंक के साथ कुछ जानकारी के खुलासे की अनुमति भी दी गई है।

सेबी शीर्ष 2,000 कंपनियों को कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने और जोखिम प्रबंधन समिति गठित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस समय यह केवल शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है।

ज्यादातर प्रस्तावों का उद्देश्य सेबी की लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ऐंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (एलओडीआर) और इश्यू ऑफ कैपिटल ऐंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट (आईसीडीआर) नियमों में अंतर दूर करना है। बाजार नियामक ने प्रस्तावों पर 17 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं।

समिति की सिफारिश

- रिपोर्ट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन (आरपीटी) मानकों, प्रवर्तक पुनः वर्गीकरण और लॉक-इन जरूरतों, निदेशकों की नियुक्ति, आईपीओ के लिए पात्रता नियमों, आईपीओ-पूर्व लेनदेन के खुलासे, राइट निर्गम आदि से जुड़े बदलावों के प्रस्ताव रखे गए हैं
- विशेषज्ञ समूह ने लंबी प्रवर्तक लॉक-इन अवधि का प्रस्ताव रखा है, बशर्ते कि आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए कर्ज चुकाने में किया जाए
- आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए प्री-इश्यू एडवरटाइजमेंट और प्राइस बैंड एडवरटाइजमेंट को एक ही विज्ञापन के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है

इन्फोसिस के सीईओ ने सेबी के साथ विवाद सुलझाया

बीएस संवाददाता
मुंबई, 27 जून

आईटी दिग्गज इन्फोसिस और उसके मुख्य कार्याधिकारी सलिल पारेख ने 25 लाख रुपये चुकाने के लिए सहमति जताकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ कथित भेदिया कारोबार उल्लंघन से जुड़ा मामला सुलझा लिया है।

यह मामला जुलाई 2020 में इन्फोसिस और अमेरिकी वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधक वैनगार्ड के बीच हुई एक भागीदारी से जुड़ा हुआ है। समझौते के तहत, इन्फोसिस वैनगार्ड को क्लाउड-आधारित रिकॉर्ड कीपिंग प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी।

सेबी के नियमों के अनुसार दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) माना जाना चाहिए था। लेकिन निर्यात किया गया सॉफ्टवेयर ऐसा करने में विफल रहा।

सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग (पीआईटी) रेग्युलेशंस के तहत प्रमुख घोषणाओं और सौदों को यूपीएसआई कहा जाता है, ताकि सूचना के हेरफेर या दुरुपयोग को रोका जा सके। जानकारी के गलत इस्तेमाल या दुरुपयोग से शेयर की कीमतों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

बाजार नियामक ने अगस्त 2023 में इन्फोसिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कंपनी ने सहमति से निपटान याचिका दायर की थी, जिसके तहत कथित गलत कार्य करने वाला व्यक्ति जुर्माने का भुगतान करने या बाजार प्रतिबंध या दोनों के तहत अपराध को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना मामले को सुलझा सकता है।

इन्फोसिस द्वारा सेटलमेंट आवेदन सेबी की उच्च पदस्थ सलाहकार समिति (एचपीएसी) द्वारा मंजूर किया गया था।

अपने आवेदन में आईटी फर्म ने कहा कि कंपनी में यूपीएसआई की पहचान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को मार्गदर्शन और मंजूरी के लिए ऑडिट कमेटी और बोर्ड के समक्ष रखा गया है। इसे लिखित और स्वीकृत नीति में भी परिवर्तित किया गया है।

कंपनी ने अपने आवेदन में कहा, 'किसी भी सौदे की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (टीसीवी) की इन्फोसिस के वार्षिक राजस्व के साथ तुलना करने के लिए सालाना औसत राजस्व में विभाजित करने की प्रणाली के बारे में भी कंपनी की लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड को सूचित किया गया है।'

इन्फोसिस के शेयर में गुरुवार को करीब 2 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

मामले का निपटान

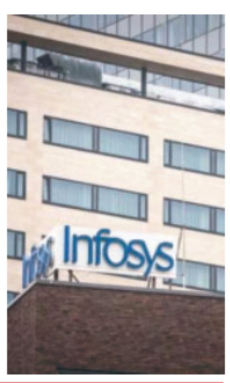

- मामला 2020-21 से जुड़ा हुआ था जब आईटी दिग्गज ने वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधक वैनगार्ड के साथ भागीदारी की थी
- 25 लाख रुपये चुकाने के लिए सहमति जताकर आईटी दिग्गज ने सुलझा लिया

एफपीआई की खरीद व आरआईएल में बढ़त से नए मुकाम पर सूचकांक

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 27 जून

आईटी दिग्गजों, रिलायंस इंडस्ट्रीज में बढ़त और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की अच्छी खासी खरीदारी के बीच भारतीय शेयर बाजारों के सूचकांकों ने नई ऊंचाई को छू लिया। सेंसेक्स 569 अंक चढ़कर 79,243 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी ने 176 अंकों की बढ़त के साथ 24,044 पर कारोबार की समाप्ति की। सेंसेक्स ने पहली बार 79,000 और निफ्टी ने 24,000 की सीमा को पहली बार पार किया और दोनों सूचकांक इस माह 10वीं बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे।

बीएसई में सूचीबद्ध फर्मों का कुल बाजार पूंजीकरण 1.4 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 438 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एफपीआई गुरुवार को 7,658 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे। गुरुवार की खरीद के साथ एफपीआई कैलेंडर वर्ष 2024 में शुद्ध खरीदार बन गए।

चुनाव नतीजों के बाद माह की शुरुआत में बाजारों में खासी गिरावट आई थी लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने सहयोगियों की मदद से सरकार बनाई और कैबिनेट के अहम मंत्रालय अपने पास रखे जिससे नीतिगत निरंतरता की उम्मीद बंधी। मजबूत आर्थिक संकेतकों और एफपीआई के शुद्ध खरीदार बनने से सूचकांकों को इस साल सबसे अच्छी मासिक बढ़ोतरी दर्ज करने में मदद मिली।इस माह अब तक सेंसेक्स में 7.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जबकि निफ्टी में 6.7 फीसदी का इजाफा हुआ है। महीने की बढ़त को निजी बैंकों में बढ़ोतरी और एफपीआई के सबसे बड़े निवेश से मदद मिली। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 9 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

चार शेयरों इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और अल्ट्राटेक ने गुरुवार की बढ़त में आधे से ज्यादा का योगदान किया। बाजार के विशेषज्ञों ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में हुई बढ़त की वजह टैरिफ में बढ़ोतरी की उम्मीद है। जियो मोबाइल सेवा का परिचालन करने वाली कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद टैरिफ में बढ़ोतरी की घोषणा की।

इंडिया सीमेंट्स के सौदे से उद्योग में होगा और एकीकरण

कृष्ण कांत
मुंबई, 27 जून

अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से तमिलनाडु की इंडिया सीमेंट्स की 23 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण भारतीय सीमेंट बाजार में बढ़ते एकीकरण का एक और उदाहरण है। यह सौदा देसी बाजार में अल्ट्राटेक सीमेंट की हिस्सेदारी 2.3 फीसदी बढ़ा देगा, जो वित्त वर्ष 24 के इंडिया सीमेंट के राजस्व पर आधारित है और ऐसा तब होगा जब यह सौदा औपचारिक तौर पर पूरा हो जाएगा। इंडिया सीमेंट के शेयर की कीमत इस उम्मीद में 11.5 फीसदी बढ़ गई कि भविष्य में औपचारिक अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान खुली पेशकश देखने को मिलेगी।

इंडिया सीमेंट की शुद्ध बिक्री वित्त वर्ष 24 में 5,112.2 करोड़ रुपये रही और राजस्व बाजार हिस्सेदारी देसी सीमेंट उद्योग में 2.3 फीसदी रही, जो दक्षिण भारत में रामको सीमेंट के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रामको सीमेंट की शुद्ध बिक्री वित्त वर्ष 24 में 9,376.4 करोड़ रुपये रही।

इसकी तुलना में अल्ट्राटेक सीमेंट की शुद्ध बिक्री वित्त वर्ष 24 में 70,908 करोड़ रुपये रही, जो देश के सभी सीमेंट निर्माताओं के संयुक्त राजस्व का 31.5 फीसदी बैठता है। इसमें केसोराम इंडस्ट्रीज का सीमेंट डिविजन शामिल नहीं है, जिसे पिछले साल 7,600 करोड़ रुपये की एंटरप्राइज वैल्यू पर अधिग्रहीत किया गया था। केसोराम के सीमेंट डिविजन का राजस्व वित्त वर्ष 24 में 3,740.5 करोड़ रुपये रहा।

अमेरिका का न्याय विभाग और यूरोपीय आयोग उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा का स्तर भांपने के लिए कंपनियों के औसत राजस्व हिस्सेदारी का इस्तेमाल करता है। राजस्व बाजार का इस्तेमाल हर्फिंडाल-हिर्शमैन इंडेक्स (एचएचआई) की गणना के लिए किया जाता है। एचएचआई किसी उद्योग की बाजार में उपस्थिति का आकलन करने का सामान्य तरीका है।

इस महीने के शुरू में अदाणी समूह नियंत्रित अंबुजा सीमेंटड ने हैदराबाद स्थित पन्ना सीमेंट का अधिग्रहण कर लिया था। इससे देश के दक्षिणी एवं पश्चिमी बाजारों में अंबुजा सीमेंट की उत्पादन क्षमता और बाजार हिस्सेदारी दोनों में इजाफा हो गया। दिसंबर 2023 में अंबुजा सीमेंट ने संघी इंडस्टड्रीज को 5,180 करोड़ रुपये में खरीद लिया था। संघी इंडस्ट्रीज का गुजरात में एक सीमेंट संयंत्र है। इन दो अधिग्रहणों के बाद अंबुजा सीमेंट की शुद्ध बिक्री में लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अनुमानित इजाफा हुआ है और राजस्व हिस्सेदारी में 1.5 प्रतिशत बढ़ोतरी (मौजूदा 14.7 प्रतिशत से) हुई है।

पिछले दस वर्षों के दौरान घरेलू बाजार में अल्ट्राटेक सीमेंट की राजस्व में हिस्सेदारी 1200 आधार अंक बढ़कर 33.1 प्रतिशत हो गई है, जो पहले 21.1 प्रतिशत हुआ करती थी। इस दौरान कंपनी ने जयप्रकाश एसोसिएट्स, बिनानी सीमेंट्स और सेंचुरी टैक्सटाइल ऐंड इंडस्ट्रीज के सीमेंट संयंत्र भी खरीदे हैं। इन अधिग्रहणों के दम पर अल्ट्राटेक सीमेंट की शुद्ध बिक्री वित्त वर्ष 2024 में अंबुजी सीमेंट की समेकित शुद्ध बिक्री का दोगुना से ज्यादा थी। इसमें एसीसी सीमेंट, जो अंबुजा सीमेंट की सहायक इकाई है, के आंकड़े भी शामिल हैं। एक दशक पहले तक अंबुजा सीमेंट और एसीसी का संयुक्त राजस्व अल्ट्राटेक के बराबर था। दो वर्ष पहले तक इन दोनों कंपनियों (अंबुजा सीमेंट और एसीसी) पर लाफार्ज होल्सिम का नियंत्रण था। मगर पिछले एक दशक में इन दोनों कंपनियों बाजार हिस्सेदारी कम हुई है।

अदाणी समूह ने सितंबर 2022 में अंबुजी सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण किया था। समूह कई अधिग्रहणों एवं तेज गति से क्षमता विस्तार के साथ इन कंपनियों का प्रदर्शन सुधार रहा है।

2.5 साल के निचले स्तर पर सीमेंट की कीमतें

सीमेंट की खुदरा कीमतें (राष्ट्रीय औसत) 2.5 साल के निचले स्तर पर हैं और दक्षिण भारत के बाजारों के मामले में यह चार साल के निचले स्तर पर हैं। इलारा सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। ब्रोकरेज फर्म ने कीमत में गिरावट की वजह सीमेंट निर्माताओं की तरफ से वॉल्यूम पर जोर देना है और कंपनियां बाजार हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर ऐसा कर रही हैं।

ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक, डीलरों, सेल्स एग्जिक्यूटिव व कैरी ऐंड फॉरवाडिंग एजेंटों से पता चला कि सीमेंट उद्योग जून में सीमेंट कीमतें रिकवर करने में नाकाम रही जबकि मई में सुस्ती थी।

नोट में कहा गया है, स्थिर कीमतों के साथ कुछ बाजारों को छोड़ दें तो ज्यादातर हिस्से में कीमत पर दबाव दिखा। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर औसत खुदरा कीमतें मासिक आधार पर 5 रुपये प्रति कट्टा घटकर 351 रुपये रह गई, जो 2.5 साल पहले के स्तर पर पहुंच गई।

क्षेत्र के लिहाज से दक्षिण भारत में कीमतों की चाल सबसे ज्यादा 12 रुपये प्रति कट्टा रही। जून में तमिलनाडु में कीमतें 20 रुपये प्रति कट्टा घट गई, वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में 10-10 रुपये प्रति कट्टा कम हुई। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा कीमतें निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो चार साल पहले देखी गई थी। जुलाई में पेन्ना सीमेंट की तरफ से होने वाली वॉल्यूम में बढ़ोतरी से कीमतों में बढ़ोतरी में देरी की आशंका है।

बीएस

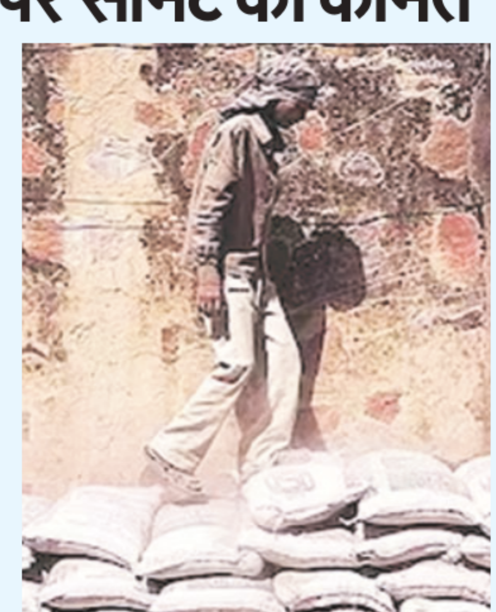

जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा ने नवकार कॉर्प की हिस्सेदारी खरीदी

बीएस संवाददाता
मुंबई, 27 जून

देश में निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी वाणिज्यिक बंदरगाह परिचालक जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर ने बीएसई सूचीबद्ध नवकार कॉरपोरेशन (लॉजिस्टिक्स फर्म) की 70.37 फीसदी हिस्सेदारी 1,012 करोड़ रुपये में अधिग्रहीत की।

दोनों कंपनियों के बयान के मुताबिक, नवकार कॉर्प की बाकी शेयरधारिता के लिए सेबी की अधिग्रहण संहिता के तहत खुली पेशकश लाई जाएगी।

नवकार का शेयर गुरुवार को एक्सचेंजों पर 1.48 फीसदी की बढ़त के साथ 112 रुपये पर बंद हुआ, वहीं जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा का शेयर 2 फीसदी टूटकर 319 रुपये पर बंद हुआ।

नवकार कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का परिचालन सोमाथने, पनवेल में करती है और दो दो सीएफएस का परिचालन अजिवली, पनवेल में होता है।

कंपनी के पास मोरबी, गुजरात में इनलैंड कंटेनर डिपो का स्वामित्व भी है, जो मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का हिस्सा है।

नवकार के पास कैटिगरी-1 व कैटिगरी-2 में कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंस भी है।

JKcement

जे.के. सीमेंट लिमिटेड ('कम्पनी')

पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर-208001, उ.प्र.
टेलीफोनः +91 512 2371478- 85 फैक्स: +91 512 2399854
ईमेलः shambhu.singh@jkcement.com वेबसाइटः www.jkcement.com

कम्पनी के सदस्यों के लिए तीसवीं वार्षिक आम बैठक, पुस्तकबंदी, लाभांश हेतु रिकॉर्ड डेट व ई-वोटिंग की सूचना

कम्पनी अधिनियम 2013 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों सपठित सामान्य सर्कुलर संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022, 10/2022 तथा 09/2023 क्रमशः दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 05 मई 2022, 28 दिसम्बर 2022 तथा 25 सितम्बर 2023 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("MCA Circulars") तथा सर्कुलर सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई 2022 तथा सर्कुलर सं. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 तथा सर्कुलर सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित (सूचीबद्ध विनियम) पर जारी एवं लागू परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित होने वाली कंपनी की तीसवीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") जो कि **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024 को भारतीय समयानुसार प्रातः 11:00** बजे वीडियो कान्फ्रेसिंग (वीसी)/अदर आडियो विजुअल मीन्स् (ओएवीएम) के माध्यम से बुलाने की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्टैंडअलोन और कन्सोलिडेटेड लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, नोटिस, निदेशकों की रिपोर्ट (संलग्नक सहित) प्रबन्धन की चर्चाएं तथा कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की विश्लेषण रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उनके साथ संलग्न करने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक 27 जून, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंपनी के केवल उन सदस्यों को भेजे जा चुके हैं, जिनके नाम कंपनी/कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास दर्ज हैं। इस प्रकार सदस्य वीडियो कानफ्रेसिंग (वीसी)/अदर आडियो विजुअल मीन्स् (ओएवीएम) के माध्यम से ही सम्मलित हो सकते है। एजीएम की सूचना और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.jkcement.com** पर और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट क्रमश: **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** और **NSDL** की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सम्मिलित होने वाले सदस्यों की गिनती कम्पनीज़ एक्ट 2013 की धारा 103 के तहत, कोरम की गणना हेतु की जाएगी।

एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सूचना के सर्कुलेशन की तारीख से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य **shambhu.singh@jkcement.com** पर ई-मेल प्रार्थना भेज सकते है।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंगः

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों ("ई-वोटिंग") द्वारा, एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर, मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य अपना वोट यहाँ नीचे दी गई तारीखों पर दूर से भी डाल सकते है ("रिमोट ई-वोटिंग") कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड **(NSDL)** की सेवाएं ली है। मतदान के तरीके के बारे में सूचना और निर्देश जिसमें शामिल है डीमैटीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से (Remotely) मतदान करना और सदस्य जिन्होनें अपने ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें यह एजीएम की सूचना में दिया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के जरिये केवल वही व्यक्ति मतदान कर सकेंगे, जिनका नाम कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 तक कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज हैं। वे सदस्य जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे यह जानकारी एजीएम के नोटिस में वर्णित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधाः **मंगलवार, 16 जुलाई, 2024 को सुबह 10:00 बजे** से शुरू होगी और **गुरूवार, 18 जुलाई, 2024 को शाम 05:00 बजे** बंद हो जाएगी।

पूर्वोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिमोट ई-वोटिगं माड्यूल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड **('NSDL')** द्वारा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर अक्षम कर दिया जाएगा। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग कर सकेंगे।

वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, वे भी एजीएम में सम्मिलित हो सकेंगे परन्तु दोबारा मतदान नहीं कर सकेंगे।

पुस्तक बंदी सूचना तथा लाभांश और उसके भुगतान की रिकार्ड तिथि:

ए. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 सपठित कम्पनीज ('मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ') नियम 2014 तथा सेबी **('LODR')** विनियम 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों का रजिस्टर तथा कम्पनी की **Share Transfer Books** के बंद रहने का समय बुधवार दिनांक 10 जुलाई, 2024 से शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई, 2024 तक (दोनों दिवस सम्मिलित) रहेगा।

बी. कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए मंगलवार, दिनांक 09 जुलाई, 2024 को "रिकार्ड तिथि" के रूप में निर्धारित किया है।

सी. लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को जिनके नाम रिकार्ड तिथि को कंपनी के रजिस्टर में दिखाई देते हैं और डीमैटरियलाइज्ड मोड में रखे गए शेयरों के संबंध में उन सदस्यों को जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा रिकार्ड तिथि जो कि, 9 जुलाई, 2024 है को लाभकारी मालिकों के रूप में प्रस्तुत किये गए है उन्हें एजीएम के सम्पन्न होने से एक सप्ताह के भीतर किया जायेगा।

डी. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रानिक माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होनें कंपनी में अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत किया है। सेबी सर्कुलर के अनुपालन में डिमाण्ड ड्राफ्ट उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजे जायेंगें जिन्होनें अपने बैंक खाता का विवरण कंपनी/ RTA में अभिलिखित नहीं कराया है।

लाभांश प्राप्त करने के लिए मैनडेट (Mandate) दर्ज करने का तरीका :

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत/ अपडेट करेंः

ए. यदि शेयर डीमैटेरियलाइज्ड मोड में रखा गया है, तो अपने डिपाजीटरी पार्टिसिपेन्ट्स के साथ, फॉर्म और दस्तावेज, जमा करके पंजीकृत/अपडेट करें।

बी. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है तो, फॉर्म संख्या ISR-1के अनुसार, अधोलिखित दस्तावेज कंपनी के ई-मेल-पते shambhu.singh@jkcement.com पर ई-मेल करके या जमा करके, पंजीकृत/अपडेट करें-

(1) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई कापी जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (बैंक खाता नंबर, बैंक और शाखा का नाम और पता, आइएफएससी कोड, एमआईसीआर विवरण) हों

(2) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और

(3) एक कैसिंल चेक।

यदि कम्पनी किन्हीं कारणों से आर.बी.आई द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से डिविडेन्ड ट्रांसफर नहीं कर पाती है तो वह सेबी सर्कुलर के अनुसार सदस्यों को डिमाण्ड ड्राफ्ट भेजेगी।

ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करने के तरीकाः

ए. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होनें कंपनी में अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे shambhu.singh@jkcement.com पर फोलियो नंबर ई-मेल पते के विवरण के साथ कंपनी /फार्म संख्या ISR-1के अनुसार RTA को लिखकर पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।

बी. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले कार्पोरेट सदस्य, जिन्होनें अपना ई-मेल पता पंजीकृत/ अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स जहाँ वे अपने डीमेट खाते रखते है, में पंजीकृत/ अपडेट करें।

ई-मेल आईडी अपडेट/पंजीकृत अथवा लाभांश प्राप्त करने के लिए मैंडेट दर्ज कराने की अधिक जानकारी के लिए सदस्य सेबी सर्कुलर संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 (यथा संसोधित) SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 16 मार्च, 2023 देख सकते हैं।

ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो सदस्य ई-वोटिंग करने के लिए NSDLवेबसाइट: https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में ड्रापडाउन मेनू के माध्यम से "एफएक्यू" सेक्शन/ ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल देख सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि यदि कोई प्रश्न/शिकायत हो तो उनके समाधान के लिए निम्नलिखित से संपर्क करेंः
श्री शम्भू सिंह, उपाध्यक्ष तथा कम्पनी सचिव
जे. के. सीमेंट लिमिटेड, कमला टावर, कानपुर- 208 001, उत्तर प्रदेश
फोन नं.: +91 512 2371478-85, फैक्स: +91 512 2399854
ई-मेल: shambhu.singh@jkcement.com, वेब: www.jkcement.com

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होनाः

सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से NSDL वेबलिंक: https://www.evoting.nsdl.com पर एजीएम में भाग ले सकेंगे। उपयोग किए जाने वाले लागिन क्रेडेंशियल के बारे में जानकारी और एजीएम में भाग लेने के लिए अपनाए जाने वालें चरणों को एजीएम की नोटिस के नोट न. 29 में समझाया गया है। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी शामिल हो सकते हैं लेकिन वे एजीएम में अपना वोट दोबारा डालने के पात्र नहीं होंगे।

लाभांश पर कर:

आयकर अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार शेयरहोल्डरों की लाभांश आय कर योग्य होती है। कंपनी द्वारा सदस्यों को भुगतान किये गये लाभांश पर लागू दर से कर (TDS) लिया जायेगा। सदस्यों से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा पूर्व में भेजे गए महत्वपूर्ण संदेशों को देखें अथवा कंपनी की वेबसाइट www.jkcement.com पर विजिट करें।

स्थानः कानपुर
दिनांकः 27.06.2024

निदेशक मण्डल के आदेश से
(शम्भू सिंह)
उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव
आईसीएसआई मेम्बरशिप न. एफसीएस 5836

यमुना एक्सप्रेस-वे पर अवैध हथियारों समेत छह गिरफ्तार

मथुरा, हिन्दुस्तान संवाद। थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान यमुना एक्सप्रेस वे पर मांट टोल पर गुरुवार रात चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार छह युवकों को पकड़ा। इनके कब्जे से अवैध पिस्टल, रिवॉल्वर, पांच मोबाइल और काफी संख्या में कारतूस बरामद किए हैं। ये लोग फर्जी लाइसेंस से असलाह खरीद कर बिहार ले जा रहे थे। अभी पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है।

गुरुवार रात यमुना एक्सप्रेस वे के मांट टोल प्लाजा के पास थाना प्रभारी निरीक्षक राजीत वर्मा, टोल चौकी प्रभारी भुवनेश दीक्षित पुलिस टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। पुलिस को संदिग्ध अवस्था में स्कॉर्पियो खड़ी दिखी। पुलिस ने तलाशी ली तो पुलिस दंग रह गयी। उसे सीट के नीचे एक पिस्टल, दो कंपनी मेड रिवाल्वर मिलीं। वहीं कई डिब्बियों में रखे करीब 200 कारतूस मिले। तीनों असलहे के लाइसेंस जम्मू कश्मीर से बने थे।

फर्जी दस्तावेज से नौकरी कर रहे पांच शिक्षक बर्खास्त

श्रावस्ती, संवाददाता। फर्जी दस्तावेज के सहारे के अलग अलग स्कूलों में नौकरी कर रहे पांच शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। सभी शिक्षकों से अब तक लिए गए वेतन की रिकवरी की जाएगी। सिरसिया विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बगही में तैनात प्रधानाध्यापक अरुण कुमार फर्जी मार्कशीट व कूटरचित दस्तावेज के सहारे बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे।

मुजफ्फरनगर में पत्नी की गर्दन-पंजे काटकर हत्या

मुजफ्फरनगर, संवाददाता। पति ने अपने साथी के साथ मिलकर पत्नी चाहत की गर्दन और हाथों के पंजे काटकर हत्या कर दी। वारदात को छिपाने के लिए शव को बोरे में बंद कर काली नदी में फेंक दिया।

नदी में जलकुम्भी होने के कारण शव पानी में नहीं बहा। बुधवार रात दोनों आरोपी शव को बहाने पहुंचे थे। जहां पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया।

आरोपी अरबाज ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व उसने अपने साथी शाहरुख के साथ पत्नी की चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। सात माह पूर्व अरबाज ने उससे शादी की और किराए का मकान दिला दिया। थाना प्रभारी अक्षय शर्मा ने बताया कि अरबाज दूध की डेयरी चलाता है। वह दिन व रात्रि में अपनी पत्नी के पास कुछ घंटे के लिए जाता था। उसके खर्च भी अधिक थे। इस कारण झगड़ा होता था। इससे परेशान होकर उसने हत्या कर दी।

बीडीए ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, होटल, रेस्टोरेंट जमींदोज

गोलीकांड के आरोपी के होटल और घर पर चला बुलडोजर

बरेली में बवाल

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। पीलीभीत बाईपास पर गोलीकांड के मुख्य आरोप बिल्डर राजीव राणा के होटल और घर पर गुरुवार को बीडीए (बरेली विकास प्राधिकरण) ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। वीसी बीडीए, मजिस्ट्रेट और बड़ी तादात में पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान राणा के परिजन निर्माण ध्वस्त न करने के लिए अफसरों के आगे गिड़गिड़ाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच बिल्डर राजीव राणा भी वीडियो बनाते हुए वहां पहुंच गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पीलीभीत बाईपास पर 22 जून को मार्बल कारोबारी लालपुर के आदित्य उपाध्याय और संजयनगर निवासी बिल्डर राजीव राणा के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर टकराव हो गया था। राजीव राणा ने बदमाशों के साथ आदित्य की दुकान और वहां रखे मार्बल को दो बुलडोजर ले जाकर ध्वस्त कर दिया था। इस दौराणा दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई थी और दो मुकदमे दर्ज किए गए थे। दोनों मुकदमों में बिल्डर राजीव राणा मुख्य आरोपी था और फरार चल रहा था। जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने वाले राजीव राणा गुट के बदमाश संजयनगर स्थित स्टार सिटी नाम के दो होटल और उसके करीबी चांद मियां के मुंशीनगर स्थित होटल में ठहरे थे। बीडीए ने इन होटलों की जांच कराई तीनों अवैध मिले। इसके बाद गुरुवार को टीम फोर्स के साथ संजयनगर पहुंची। वहां पर बिना नक्शा स्वीकृत कराए बनाए गए राजीव राणा के चार मंजिला होटल, रेस्टोरेंट एवं घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया।

बरेली में आरोपी बिल्डर राजीव राणा का घर और होटल ध्वस्त किया गया।

बुलडोजर चलते ही पहुंचा राणा, समर्पण किया

बरेली। बीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान ही गोलीकांड का मुख्य आरोपी एवं मास्टर माइंड राजीव राणा अपनी पत्नी और बेटी के साथ वीडियो बनाते हुए मौके पर पहुंच गया। अपने निर्माण को वैध बताते हुए उसने बीडीए व पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया। मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। राणा की पत्नी ने आरोप लगाया कि दो नेताओं की लड़ाई में उन्हें शिकार बनाया गया है।

JKcement

जे.के. सीमेंट लिमिटेड ('कम्पनी')

पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर-208001, उ.प्र.
टेलीफोन: +91 512 2371478- 85 फैक्स: +91 512 2399854
ईमेल: shambhu.singh@jkcement.com वेबसाइट: www.jkcement.com

कम्पनी के सदस्यों के लिए तीसवीं वार्षिक आम बैठक, पुस्तकबंदी, लाभांश हेतु रिकॉर्ड डेट व ई-वोटिंग की सूचना

कम्पनी अधिनियम 2013 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों सपठित सामान्य सर्कुलर संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022, 10/2022 तथा 09/2023 क्रमशः दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 05 मई 2022, 28 दिसम्बर 2022 तथा 25 सितम्बर 2023 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("MCA Circulars") तथा सर्कुलर सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई 2022 तथा सर्कुलर सं. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 तथा सर्कुलर सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित (सूचीबद्ध विनियम) पर जारी एवं लागू परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित होने वाली कंपनी की तीसवीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") जो कि **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024 को भारतीय समयानुसार प्रातः 11:00** बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अदर आडियो विजुअल मीन्स् (ओएवीएम) के माध्यम से बुलाने की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्टैंडअलोन और कन्सोलिडेटेड लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, नोटिस, निदेशकों की रिपोर्ट (संलग्नक सहित) प्रबन्धन की चर्चाएं तथा कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की विश्लेषण रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उनके साथ संलग्न करने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक 27 जून, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंपनी के केवल उन सदस्यों को भेजे जा चुके हैं, जिनके नाम कंपनी/कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास दर्ज हैं। इस प्रकार सदस्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अदर आडियो विजुअल मीन्स् (ओएवीएम) के माध्यम से ही सम्मलित हो सकते है। एजीएम की सूचना और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.jkcement.com** पर और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** और **NSDL** की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सम्मिलित होने वाले सदस्यों की गिनती कम्पनीज़ एक्ट 2013 की धारा 103 के तहत, कोरम की गणना हेतु की जाएगी।

एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सूचना के सर्कुलेशन की तारीख से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य **shambhu.singh@jkcement.com** पर ई-मेल प्रार्थना भेज सकते है।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग:

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों ("ई-वोटिंग") द्वारा, एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर, मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य अपना वोट यहाँ नीचे दी गई तारीखों पर दूर से भी डाल सकते है ("रिमोट ई-वोटिंग") कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड **(NSDL)** की सेवाएं ली है। मतदान के तरीके के बारे में सूचना और निर्देश जिसमें शामिल है डीमैटीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से (Remotely) मतदान करना और सदस्य जिन्होनें अपने ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें यह एजीएम की सूचना में दिया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के जरिये केवल वही व्यक्ति मतदान कर सकेंगे, जिनका नाम कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 तक कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज हैं। वे सदस्य जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे यह जानकारी एजीएम के नोटिस में वर्णित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा **मंगलवार, 16 जुलाई, 2024 को सुबह 10:00 बजे** से शुरू होगी और **गुरूवार, 18 जुलाई, 2024 को शाम 05:00 बजे** बंद हो जाएगी।

पूर्वोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड **('NSDL')** द्वारा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर अक्षम कर दिया जाएगा। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग कर सकेंगे।

वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, यानी शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, वे भी एजीएम में सम्मिलित हो सकेंगे परन्तु दोबारा मतदान नहीं कर सकेंगे।

पुस्तक बंदी सूचना तथा लाभांश और उसके भुगतान की रिकार्ड तिथि:

ए. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 सपठित कम्पनीज ('मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन') नियम 2014 तथा सेबी **('LODR')** विनियम 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों का रजिस्टर तथा कम्पनी की **Share Transfer Books** के बंद रहने का समय बुधवार दिनांक 10 जुलाई, 2024 से शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई, 2024 तक (दोनों दिवस सम्मिलित) रहेगा।

बी. कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए मंगलवार, दिनांक 09 जुलाई, 2024 को "रिकार्ड तिथि" के रूप में निर्धारित किया है।

सी. लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को जिनके नाम रिकार्ड तिथि को कंपनी के रजिस्टर में दिखाई देते हैं और डीमैटरियलाइज्ड मोड में रखे गए शेयरों के संबंध में उन सदस्यों को जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा रिकार्ड तिथि जो कि, 9 जुलाई, 2024 है को लाभकारी मालिकों के रूप में प्रस्तुत किये गए है उन्हें एजीएम के सम्पन्न होने से एक सप्ताह के भीतर किया जायेगा।

डी. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रानिक माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होनें कंपनी में अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत किया है। सेबी सर्कुलर के अनुपालन में डिमाण्ड ड्राफ्ट उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजे जायेंगें जिन्होनें अपने बैंक खाता का विवरण कंपनी/ RTA में अभिलिखित नहीं कराया है।

लाभांश प्राप्त करने के लिए मैनडेट (Mandate) दर्ज करने का तरीका :

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत/ अपडेट करें:

ए. यदि शेयर डीमैटेरियलाइज्ड मोड में रखा गया है, तो अपने डिपाजीटरी पार्टिसिपेन्ट्स के साथ, फॉर्म और दस्तावेज, जमा करके पंजीकृत/अपडेट करें।

बी. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है तो, फॉर्म संख्या ISR-1के अनुसार, अधोलिखित दस्तावेज कंपनी के ई-मेल-पते shambhu.singh@jkcement.com पर ई-मेल करके या जमा करके, पंजीकृत/अपडेट करें-

(1) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई कापी जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (बैंक खाता नंबर, बैंक और शाखा का नाम और पता, आइएफएससी कोड, एमआईसीआर विवरण) हों

(2) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और

(3) एक कैंसिल चेक।

यदि कम्पनी किन्हीं कारणों से आर.बी.आई द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से डिविडेन्ड ट्रांसफर नहीं कर पाती है तो वह सेबी सर्कुलर के अनुसार सदस्यों को डिमाण्ड ड्राफ्ट भेजेगी।

ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करने के तरीका:

ए. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होनें कंपनी में अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे shambhu.singh@jkcement.com पर फोलियो नंबर ई-मेल पते के विवरण के साथ कंपनी /फार्म संख्या ISR-1के अनुसार RTA को लिखकर पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।

बी. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले कार्पोरेट सदस्य, जिन्होनें अपना ई-मेल पता पंजीकृत/ अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स जहाँ वे अपने डीमेट खाते रखते है, में पंजीकृत/ अपडेट करें।

ई-मेल आईडी अपडेट/पंजीकृत अथवा लाभांश प्राप्त करने के लिए मैंडेट दर्ज कराने की अधिक जानकारी के लिए सदस्य सेबी सर्कुलर संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 (यथा संसोधित) SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 16 मार्च, 2023 देख सकते हैं।

ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो सदस्य ई-वोटिंग करने के लिए NSDL वेबसाइट: https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में ड्रापडाउन मेनू के माध्यम से "एफएक्यू" सेक्शन/ ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि यदि कोई प्रश्न/शिकायत हो तो उनके समाधान के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें:
श्री शम्भू सिंह, उपाध्यक्ष तथा कम्पनी सचिव
जे. के. सीमेंट लिमिटेड, कमला टावर, कानपुर- 208 001, उत्तर प्रदेश
फोन नं.: +91 512 2371478-85, फैक्स: +91 512 2399854
ई-मेल: shambhu.singh@jkcement.com, वेब: www.jkcement.com

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होना:

सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से NSDL वेबलिंक: https://www.evoting.nsdl.com पर एजीएम में भाग ले सकेंगे। उपयोग किए जाने वाले लागिन क्रेडेंशियल के बारे में जानकारी और एजीएम में भाग लेने के लिए अपनाए जाने वालें चरणों को एजीएम की नोटिस के नोट न. 29 में समझाया गया है। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी शामिल हो सकते हैं लेकिन वे एजीएम में अपना वोट दोबारा डालने के पात्र नहीं होंगे।

लाभांश पर कर:

आयकर अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार शेयरहोल्डरों की लाभांश आय कर योग्य होती है। कंपनी द्वारा सदस्यों को भुगतान किये गये लाभांश पर लागू दर से कर (TDS) लिया जायेगा। सदस्यों से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा पूर्व में भेजे गए महत्वपूर्ण संदेशों को देखें अथवा कंपनी की वेबसाइट www.jkcement.com पर विजिट करें।

स्थान: कानपुर
दिनांक: 27.06.2024

निदेशक मण्डल के आदेश से
(शम्भू सिंह)
उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव
आईसीएसआई मेम्बरशिप न. एफसीएस 5836

राजकीय विद्यालयों में होगी 1454 शिक्षकों की भर्ती

हि जॉब्स

- 163 पदों पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की होगी भर्ती
- प्रधानाचार्य के 75 और प्रवक्ता के हैं 750 पद

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। प्रदेश के 88 राजकीय विद्यालयों में कुल 1454 शिक्षक और 163 गैर शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश में बने 75 राजकीय इंटर कॉलेज तथा 13 राजकीय हाईस्कूल के लिए शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पदों की संख्या जारी कर दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है। शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर जल्दी निर्णय होगा, जबकि शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे।

75 नए राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 75, प्रवक्ता के 750, सहायक अध्यापक के 525 और कनिष्ठ सहायक के 150 पद होंगे। वहीं राजकीय हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के 13, सहायक अध्यापक के 91 और कनिष्ठ सहायक 13 पदों पर भर्ती होगी।

फांसी का वीडियो भेजकर युवक ने जान दी

शाहगढ़ (आजमगढ़), संवाददाता। सिधारी थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव में बुधवार की रात एक युवक ने प्रेम प्रसंग में घर के भीतर फांसी लगाकर जान दे दी। घटना से पहले उसने फंदा लगाने का वीडियो बनाकर अपनी प्रेमिका को भेजने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी वायरल का दिया था।

सरदारपुर गांव निवासी 23 वर्षीय अलताफ का एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। किसी बात को लेकर युवती से विवाद हो गया था। बुधवार रात अलताफ ने पंखे के सहारे फंदा गले में लटका लिया।उसका वीडियो बनाकर अपनी प्रेमिका को भेजने के साथ ही इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया।

कानपुर विकास प्राधिकरण

आवश्यक सूचना: जर्नसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत भूखण्ड सं0 1010, ब्लाक–आर0एन0 योजना–रतन लाल नगर, कानपुर, क्षेत्रफल 236.10 व0मी0 का फ्री–होल्ड विलेख निष्पादन कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर द्वारा दिनांक 09.11.1998 को श्री रवि कुमार कोहिली पुत्र स्व0 गुरूमीज सरन कोहिली के पक्ष में निष्पादित किया गया है। उक्त भूखण्ड के मूल स्वामी श्री रवि कुमार कोहिली की मृत्यु दिनांक 07.02.2023 को हो चुकी है, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र होती है कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर कानपुर नगर द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र से सं0 20240312128883028 दिनांक 09.04.2024 के अनुसार मृतक स्व0 रवि कुमार कोहिली के परिवार में निम्न पारिवारिक सदस्य है:– 1. श्रीमती मधु कोहिली, मृतक की पत्नी, उम्र 69 वर्ष। 2. श्री मानव कोहिली, मृतक का पुत्र, उम्र 42 वर्ष। 3. श्री राहुल कोहिली, मृतक का पुत्र, उम्र 36 वर्ष। 4. श्रीमती सिल्की, मृतक की पुत्री (विवा0), उम्र 46 वर्ष। उपरोक्त के अलावा मृतक के परिवार में अन्य कोई पारिवरिक सदस्य नहीं है। उपरोक्तानुसार पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र में अंकित क्रम सं0 01 से 04 तक के सदस्यों क्रमशः– श्रीमती मधु कोहिली, श्री मानव कोहिली, श्री राहुल कोहिली एवं श्रीमती सिल्की पत्नी/पुत्रगण/पुत्री स्व0 रवि कुमार कोहिली द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड पर विरासतन नामान्तरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त नामान्तरण के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या उक्त सम्पत्ति में अन्य कोई अपना हक रखता हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति समस्त साक्ष्यों सहित प्राधिकरण स्थित एकल विण्डो काउण्टर में उपलब्ध करा दें, समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई उक्त भूखण्ड के मूल स्वामी श्री रवि कुमार कोहिली पुत्र स्व0 गुरूमीज सरन कोहिली का नाम पृथक करते हुये विरासतन के आधार पर श्रीमती मधु कोहिली, श्री मानव कोहिली, श्री राहुल कोहिली एवं श्रीमती सिल्की पत्नी/पुत्रगण/पुत्री स्व0 रवि कुमार कोहिली के पक्ष में संयुक्त रूप से नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, इसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई क्लेम/दावा मान्य न होगा।

अजय कुमार, विशेष कार्याधिकारी (विक्रय जोन–3)

कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर

आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या-11ए, ब्लाक-एस/2, योजना संख्या-04, सीसामऊ, कानपुर नगर क्षेत्रफल 379 वर्गगज की इण्डेन्चर डीड प्राधिकरण की पूर्ववर्ती संस्था कानपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा दिनांक 21.02.1937 को श्रीमती गंगारानी पत्नी पं0 लालमन मिश्रा के पक्ष में निष्पादित है। भू-स्वामिनी द्वारा भूखण्ड के सम्पूर्ण भाग का विक्रय पं0 शिवदत्त प्रसाद भट्ट एवं पं0 आनन्दी प्रसाद भट्ट के पक्ष में कर दिया। प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर उपरोक्त भूखण्ड के प्राधिकरण अभिलेखों में पं0 शिवदत्त प्रसाद भट्ट एवं पं0 आनन्दी प्रसाद भट्ट का नाम सम्पूर्ण भाग पर दिनांक 23.05.1941 को अंकित कर लिया गया है।

प्रस्तुत प्रपत्रों के अनुसार सह-भू-स्वामी पं0 शिवदत्त प्रसाद भट्ट की कोई संतान नहीं थी। इनकी मृत्यु के पश्चात भूखण्ड के सम्पूर्ण भाग का स्वामित्व द्वितीय भू-सवमी पं0 आनन्दी प्रसाद को प्राप्त हुआ। पं0 आनन्दी प्रसाद की मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी श्रीमती प्यारी देवी द्वारा भूखण्ड का विक्रय श्री रवी शंकर शर्मा के पक्ष में दिनांक 12.12.1960 को कर दिया। श्री रवी शंकर शर्मा द्वारा दिनांक 29.03.1961 को भूखण्ड के सम्पूर्ण भाग का विक्रय श्रीमती तारावंती पत्नी श्री रामलाल व श्रीमती कृष्णावन्ती पत्नी श्री बनारसी लाल के पक्ष में कर दिया। श्रीमती तारावन्ती पत्नी श्री रामलाल व श्रीमती कृष्णावन्ती पत्नी श्री बनारसी लाल द्वारा भूखण्ड के सम्पूर्ण भग का विक्रय दिनांक 04.08.1961 को (आधा पश्चिमी भाग) सरदार अमर सिंह पुत्र सरदार गोपाल सिंह एवं (आधा पूर्वी भाग) सरदार जसवन्त सिंह पुत्र सरदार बुद्ध सिंह के पक्ष में कर दिया गया।

सादार जसवन्त सिंह पुत्र सरदार बुद्ध सिंह द्वारा दिनांक 24.09.1962 को अपने स्वामित्व के भाग का विक्रय श्रीमती नरेन्द्र कौर पत्नी श्री गुरदयाल सिंह को कर दिया गया। श्रीमती नरेन्द्र कौर द्वारा अपने स्वमित्व के सम्पूर्ण भाग का विक्रय दिनांक 24.09.1967 को श्रीमती प्रतिपाल कौर पत्नी सरदार स्वरूप सिंह के पक्ष में कर दिया। श्रीमती प्रतिपाल कौर की मृत्यु दिनांक 13.11.1974 को हो गयी है।

सरदार अमर सिंह द्वारा अपने स्वामित्व के भाग का विक्रय दिनांक 24.05.1967 को श्री देवेन्द्रजीत सिंह (नाबालिग) प्राकृतिक संरक्षक सरदार स्वरूप सिंह के पक्ष में कर दिया। प्रस्तुत पंजीकरण विक्रयपत्र दिनांक 12.05.2023 के अनुसार श्री देवेन्द्रजीत सिंह अविवाहित की मृत्यु दिनांक 06.10.1973 को हो गयी है।

श्रीमती प्रतिपाल कौर एवं देवेन्द्रजीत सिंह (अविवाहित) की मृत्यु के पश्चात मृतका/मृतक का पुत्र/भाई स0 रविन्द्र सिंह एवं स0 स्वरूप सिंह द्वारा भूखण्ड के सम्पूर्ण भाग का विक्रय श्री तिलक राज शर्मा पुत्र श्री राम स्वरूप शर्मा एवं श्री सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह के पक्ष में दिनांक 12.05.2003 को कर दिया है। उक्त विक्रयपत्र में सरदार स्वरूप सिंह द्वारा अपनी दूसरी पत्नी श्रीमती मनमोहन कौर के पुत्रगण स0 मनमीत सिंह, स0 कुलजीत सिंह एवं श्रीमती गुरविन्दर कौर को सहमति पक्षकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सह बैनामाधारक श्री तिलक राज शर्मा पुत्र श्री राम स्वरूप शर्मा द्वारा अपने स्वामित्व के अविभाजित 1/2 भाग क्षेत्रफल 158.44 वर्गमीटर का विक्रय सह-बैनामाधारक श्री सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह के पक्ष में दिनांक 09.09.2019 को कर दिया है, इस प्रकार श्री सुखविन्दर सिंह को भूखण्ड के सम्पूर्ण भाग का स्वामित्व प्राप्त हो गया है।

अतः प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर भूखण्ड संख्या-11ए, ब्लाक-एस/2, योजना संख्या-04, सीसामऊ, कानपुर नगर क्षेत्रफल 379 वर्गगज के प्राधिकरण अभिलेखों में श्री सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री जीत सिंह का नाम अंकित किये जाने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो, या अपना अधिकार रखता हो, तो साक्ष्यों सहित प्रकाशन तिथि से एक माह के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय विक्रय जोन-1 में दाखिल कर सकता है, निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति/क्लेम/दावा पर विचार किया जाना सम्भव न होगा।

विशेष कार्याधिकारी (विक्रय जोन-1)

प्रार्थना का फोटो बीईओ को भेजें

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक और नया फरमान जारी किया गया है। इसके तहत प्रधानाध्यापक समेत सभी शिक्षक-शिक्षिकायें प्रतिदिन प्रार्थना सभा में स्वयं के साथ पूरे प्रार्थना सभा का फोटो लेकर अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को भेजेंगे। गुरुवार 27 जून को स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से प्रधानाध्यापकों व अध्यापकों के कार्य एवं दायित्वों को लेकर जारी आदेश को लेकर शिक्षकों में फिर से उबाल आ गया है। शिक्षकों ने इसे उनकी विश्वशनीयता का गला घोंट जाने की संज्ञा दी है। साथ ही कहा है कि रोज ऐसे आदेश जारी कर विभाग ने स्कूलों को प्रयोगशाला बना दिया है।

एक बार हुए तबादले दो बार किए गए निरस्त

गड़बड़ी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। सूबे के एक विभाग के अधीन काम करने वाले बोर्ड की तबादला सूची में गड़बड़ी हो गई है। तबादलों का प्रस्ताव जिन अधिकारी को अनुमोदन के लिए भेजना था, उन्हें भनक तक नहीं लगी और तबादले हो गए। वह दिल्ली गए हुए थे। आला अफसरों के चहेते बोर्ड के एक विवादित अधिकारी ने प्रस्ताव भेजा और उस पर मुखिया ने अनुमोदन भी दे दिया। बिना यह देखे कि इन महाशय को यह अधिकार ही नहीं था। नतीजा यह हुआ कि आनन-फानन में दो-दो निरस्तीकरण आदेश जारी कर दिए गए।

इस बोर्ड के एक अधिकारी विभागीय बैठक में दिल्ली गए हुए थे। इस बीच उनके एक अधीनस्थ ने तबादलों की सूची बना ली। वह अफसरों के चहेते कहे जाते हैं। बीते साल ही अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक अनुमति जारी करने के मामले में निलंबित किए गए थे। उन्होंने समूह क और ख के अधिकारियों के तबादले का प्रस्ताव बनाकर उस पर अनुमोदन भी ले लिया और फिर उन्हें जारी भी कर दिया। बाद में जब बोर्ड के ही अधिकारी ने आपत्ति की तो तबादले निरस्त किए। हड़बड़ी में पहले बड़े साहब ने तबादला निरस्तीकरण का आदेश जारी किया। जिस तरह पहले अधिकार न होते हुए भी सीधे प्रस्ताव भेजा था, उसी तर्ज पर जनाब ने तबादले निरस्त करने का आदेश भी जारी कर डाला।

सपा उपचुनाव में भी पीडीए कार्ड खेलेगी

- अवधेश प्रसाद के बेटे मिल्कीपुर से लड़ सकते हैं चुनाव
- लालजी वर्मा की बेटी व मुलायम के पौत्र को मिल सकता है टिकट

लखनऊ, विशेष संवाददाता। अखिलेश यादव केंद्र की सियासत के साथ यूपी में भी पूरा फोकस किए हुए हैं। अब उनकी निगाह 10 सीटों पर निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा उपचुनावों पर है। इस बार भी पीडीए उनका ट्रंप कार्ड होगा।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को मैदान में उतार सकती है। कटेहरी सीट से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा पर भी पार्टी दांव लगा सकती है। लालजी वर्मा इस सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं और अब अम्बेडकरनगर से सांसद हो गए हैं। सपा अमर नाथ मौर्य को फूलपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है। मौर्य ने हाल में फूलपुर लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी के तौर पर मजबूती से चुनाव लड़ा और काफी कम वोटों के अंतर से भाजपा के प्रवीण पटेल से हारे थे। अखिलेश यादव ने जिस करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया है। वहां तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। तेज प्रताप मुलायम सिंह यादव के पौत्र हैं और मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। कानपुर की सीसामऊ से इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई है। यहां सपा के कई नेता दावेदार हैं।

इन सीटों पर होना है उपचुनाव: करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवां और सीसामऊ-इन दस सीटों पर चुनाव होना है। वर्ष 2022 के विधासभा चुनाव के हिसाब से देखें तो सपा करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी व सीसामऊ जीती थी जबकि भाजपा ने गाजियाबाद, खैर, फूलपुर सीट पर कब्जा किया था। मझवां सीट निषाद पार्टी ने तो मीरापुर सीट रालोद ने जीती थी यानी इन सीटों पर 2022 में एनडीए व इंडिया गठबंधन दोनों पांच-पांच सीटें जीते थे। **कांग्रेस भी चाहती है दो से तीन सीटें:** सपा कांग्रेस का गठबंधन इस वक्त ठीक चल रहा है और दोनों दल अगला विधानसभा चुनाव मिल कर लड़ने की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में सपा-कांग्रेस को भाजपा की जीती सीटों में दो से तीन सीटें दे सकती है।

बरेली में मोमोज विक्रेता ने काटी युवक की गर्दन

बरेली। मोमोज विक्रेता ने रुपयों को लेकर हुए विवाद के बाद युवक को दौड़ाकर जमीन पर गिरा लिया और पीठ पर बैठकर छुरी से उसकी गर्दन पर कई प्रहार किए। युवक को निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हरदोई निवसी फैजान मोहनपुर ठिरिया गांव में किराये पर रहता है। फैजान ने बताया कि जोगीनवादा में रिंकू मोमोज का ठेला लगाता है। बुधवार रात वह वहां स्प्रिंग रोल खा रहा था। रिंकू से उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद रिंकू ने उसकी गर्दन पर छुरी से प्रहार किए और फरार हो गया।

वज्रपात से सतर्कता को बनेगा नेटवर्क

लखनऊ। आकाशीय बिजली गिरने से जान माल के नुकसान की बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार भी चिन्तित है। ऐसे नुकसान को रोकने और आकाशीय बिजली गिरने से पहले संबंधित इलाके के लोगों को सतर्क करने के लिए एक राज्य स्तरीय नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। राहत आयुक्त कार्यालय की अधिकारी अदिति उमराव ने यह जानकारी दी।

प्रदेश 30s

अब छह साल के बच्चे को ही कक्षा एक में प्रवेश

प्रयागराज। अब सभी प्राथमिक स्कूलों में छह वर्ष की आयु के बच्चों को ही कक्षा एक में दाखिला मिलेगा। अब तक पांच से छह वर्ष के बीच की उम्र होने पर भी उन्हें कक्षा एक में दाखिला दे दिया जाता था। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक 31 जुलाई 2024 तक 6 वर्ष पूर्ण होने वाले बच्चों का ही कक्षा एक में प्रवेश लिया जाए। इससे कम उम्र वाले बच्चों को प्राइमरी में प्रवेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह आदेश शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए प्रभावी है।

चिकित्साधिकारी ग्रेड-2 का रिजल्ट घोषित

प्रयागराज। यूपीपीएससी ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एलोपैथी के तहत चिकित्साधिकारी ग्रेड-2 पैथोलॉजिस्ट के 21 पदों पर सीधी भर्ती का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया गया है। चयनितों में स्नेहा चौहान, नूतन दीक्षित, प्रियंका गौतम, रुचि यादव, दीपिका रावत, सुधा, अनामिका गुप्ता, श्रुति सिंह, अनामिका रावत, अर्चना वर्मा, सौम्या राजपूत, सीमा सिंह, मनीष सरोज, प्रशांत वर्मा, अंकित सिंह, सुनील कुमार जायसवाल, बुशरा खानम, सुरेंद्र कुमार, स्मृति भास्कर, रवि कांत वर्मा एवं प्रियंका गुप्ता के नाम शामिल हैं।

डरावनी रील बनाने में छह यूट्यूबर गिरफ्तार

डिबाई/बुलंदशहर। डिबाई कस्बा क्षेत्र के भीड़ भरे बाजार में गुरुवार दोपहर में उस समय दहशत फैल गई जब छह युवक खून जैसे रंग की पट्टी बांधकर पहले बाइक फिर पैदल घूम रहे थे। इसी बीच एक सिपाही ने उन्हें रोका तो जानकारी हुई कि वह यूट्यूबर हैं और रील बना रहे हैं। पुलिस ने शांतिभंग में सभी छह युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उप जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें एक-एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बांड पर आगे ऐसा नहीं करने की हिदायत के साथ जमानत दे दी।

नए कानूनों पर हर थाने पर होगा विशेष आयोजन

लखनऊ। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि यूपी पुलिस तीन नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग व परीक्षा लेकर और तकनीक से परिचित कराकर नए कानूनों से अवगत कराया गया है। पहली जुलाई को जब ये कानून लागू होंगे तो प्रदेश के हर थाने पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।